कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक समेत 6 लोगों को बिजली चोरी में जेल, 30 लाख जुर्माना

- घोषित अपराधी/ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा

नई दिल्लीः 28 अप्रैल, 2017। साकेत और कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने हाल ही में बिजली चोरी के 6 आरोपियों को जेल भेजा है। इनमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी शामिल हैं। आरोपियों पर फाइन और सिविल लायबिलिटी सहित 30 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना भी किया गया है।

कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों को तीन माह की सश्रम कैद, 13.2 लाख जुर्माना

साकेत स्थित बिजली स्पेशल कोर्ट की जज सुश्री नीलम सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स डीडी रौटारे के पार्टनर्स श्री राजेश कुमार और श्री किशोर कुमार को तीन माह के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। श्री किशोर कुमार बिजली के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं और श्री राजेश कुमार उसके उपयोगकर्ता। 29 किलोवॉट बिजली की चोरी के जुर्म में उन्हें यह सजा सुनाई गई है। वे निजामुद्दीन इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे थे। उन पर 13.2 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है, जिसमें फाइन व सिविल लायबिलिटी शामिल हैं।

जज ने अपने आदेश में कहा– मेरे विचार में, शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ, बिना शक मामले को साबित कर दिया है।

जज के आदेश के मुताबिक – यह एक आर्थिक अपराध है, जहां दोषियों के आचार–व्यवहार से समाज पीड़ित है और बिजली के शुल्कों का भुगतान करने वाले ईमानदार लोगों को कष्ट हो रहा है। इस तरह, दोषियों को तीन महनने की सश्रम कैद से न्याय का तकाजा पूरा होगा।

दरअसल, बीएसईएस ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिजली की जांच की थी, जिसमें 29 किलोवॉट की बिजली की चोरी पकड़ी गई। वहां पर बिजली का मीटर तो था, लेकिन आरोपियों ने बहुत चालाकी से वहां एक अवैध चेंजओवर सिस्टम लगाकर मीटर को ही बायपास कर लिया था। इस तरह, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही बिजली की खपत मीटर में दर्ज ही नहीं हो रही थी और उसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा था। बिजली की चोरी पकड़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार आरोपियों पर 11.9 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन उन्होंने तय समयसीमा के भीतर जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। फिर, मामले को कोर्ट में ले जाया गया।

टेलरिंग यूनिट की मालकिन को भी तीन माह का सश्रम कारावास, 11.3 लाख जुर्माना

18 मोटराइज्ड सिलाई मशीनों वाली टेलरिंग यूनिट की मालकिन व रजिस्टर्ड कंज्यूमर सुश्री खुर्शीद बेगम को साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में तीन माह के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। मामले में सह–अभियुक्त श्री राशीद की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल, बीएसईएस टीम ओखला फेज 1 इलाके में स्थित टेलरिंग यूनिट पर बिजली की चेकिंग करने गई थी, जहां टीम ने 17 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी पकड़ी। पहली मंजिल पर 18 मोटराइज्ड सिलाई मशीनों वाली इस टेलरिंग यूनिट में बड़े पैमाने पर चोरी की बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। यही नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फूड शॉप भी चोरी की इसी बिजली का उपयोग कर रहा था।

साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट की अडिशनल सेशन जज सुश्री नीलम सिंह ने अपने आदेश में कहा– ऐसे दोषी लोग, दूसरों की कीमत पर, अर्जित किए बगैर ही लाभ पा लेते हैं। ऐसे में, न्याय के तकाजे के तहत दोषी खुर्शीद बेगम को तीन माह के सश्रम कैद की सजा सुनाई जाती है।

गौरतलब है कि सुश्री खुर्शीद बेगम पर 11.3 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है, जिसमें फाइन व सिविल लयबिलिटी शामिल हैं।

मध्य दिल्ली में घोषित अपराधी समेत तीन को जेल

मध्य दिल्ली में बिजली चोरी के तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है। इनमें, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी भी शामिल है।

डीडीए फ्लैट तुर्कमान गेट निवासी श्री सैफुद्दीन को 4 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। बिजली की चोरी पर अपना पक्ष रखने के तमाम अवसर दिए जाने के बाद भी उन्होंने बीएसईएस को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद, बिजली की स्पेशल कोर्ट में इस संबंध में एक मामला दर्ज कराया गया। खास बात यह है कि कोर्ट द्वारा एक के बाद एक, दी गई तारीखों पर भी वह पेश नहीं हुए। परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बिजली चोरी के एक अन्य मामले में, तुर्कमान गेट, मोहल्ला कब्रिस्तान निवासी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी श्री शाहंशाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले उन्हें और उनके तीन सहयोगियों को 20 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वे व्यायसायिक इस्तेमाल के लिए बिजली की चोरी कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार, उन पर 6.16 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, उनके खिलाफ बिजली की स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। अक्टूबर 2015 में इन चोरों लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी करार दिया गया।

मध्य दिल्ली के ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग कटरा किराना निवासी श्री अमरजीत सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। उनकी उम्र को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में थोड़ी नरमी दिखाई। लेकिन, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 135 के तहत उन्हें दोषी करार देते हुए बिजली की स्पेशल कोर्ट ने उन पर 6.09 लाख रूपये का जुर्माना किया है, जो कि एक सिविल लायबिलिटी है। उन्हें आदेश वाले दिन से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ इस रकम का भुगतान करना है।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।